न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2026(GCMS 2025/18)
(RTI No. 212127001654763)

श्री रामफल बिश्नोई पुत्र श्री राजाराम बिश्नोई निवासी मकान नं. 57, वार्ड नं. 28, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94140–91036)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व)**, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामफल बिश्नोई स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2025 से तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि रामफल बिश्नोई ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> आपके कार्यालय द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर को पत्र क्रमांक 2025/5115 दिनांक 10.12.2025 को भेज कर तोली पत्नी तीतर सिंह की भूमि के कब्जा व इंतकाल दर्ज सम्बन्धित जांच रिपोर्ट तहसीलदार जी से 7 दिवस में आपके कार्यालय में प्रस्तुत करने का पत्र जारी किया गया था।
>
> यह कि तहसीलदार कार्यालय से भेजी गई सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक सू.अ.अधि./भू.अ./2025/373 दिनांक ..01.2026 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना प्रेषित की है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 07/2026
(GCMS No. 2026/18)
(RTI No. 212127001654763)
रामफल बिश्नोई बनाम तहसीलदार, श्रीगंगानगर

क्र.सं.	चाही गई सूचना	प्रेषित सूचना
1	आपके कार्यालय द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पत्र क्रमांक 2025/5115 दिनांक 10.12.2025 को भेज कर तोली पत्नी तितर सिंह की भूमि के कब्जा व इंतकाल दर्ज सम्बन्धित जांच रिपोर्ट तहसीलदारजी से 7 दिवस में आपके कार्यालय में प्रस्तुत करने का पत्र जारी किया गया था यह कि तहसीलदार कार्यालय से भेजी गई सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करें।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में चाही गई सूचना के क्रम में लेख है कि उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 2025/5115 दिनांक 10.12.2025 के क्रम में तहसीलदार, श्रीगंगानगर स्तर से पत्र क्रमांक 304 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर को रिपोर्ट भिजवाई गई है। रिपोर्ट की प्रति प्रेषित है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार अपने पत्रांक सू.का.अधि./भू.अ./2025/373 दिनांक 21.01.2026 से दिया है, जिसके अनुसार तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसकी प्रति पत्रावली में भी उपलब्ध है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए इस अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:10 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर